न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/12/2022

सुनील पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम जौली पुलिस थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये लोक अभियोजक

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 बावत सुपुर्दगी वाहन आईशर केन्टरा एच.आर.46–डी 2602 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 04/22 अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना जुरहरा, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 15.02.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन आईशर कैन्टरा रजि.नम्बर एच.आर. 46–डी 2602 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 12.11.2021 को ग्राम जौली से चोरी हो गया था। जिसकी एफ.आई.आर संख्या 470/2021 पुलिस थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा में दर्ज कराई गई थी। दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा इस वाहन को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया हैं। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 04/22 दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना जुरहरा में दर्ज हुई है। जब्त वाहन पुलिस थाना परिसर जुरहरा में खुले में खडा हुआ है, जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सबंध व सरोकार नही है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अपने कार्य व कारोबार को चलाने के लिए आवश्यकता है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने के लिए तैयार है तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन आईशर कैन्टरा रजि.नम्बर एच.आर.46-डी 2602 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना जुरहरा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना जुरहरा जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा आईशर कैन्टरा रजि.नम्बर एच.आर.46-डी 2602 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी का वाहन दिनांक 12.11.2021 को चोरी हुआ था। जिसकी एफ.आई.आर 470/2021 पुलिस थाना गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा में दर्ज कराई गई। दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा उक्त गाडी को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया था। जब्त वाहन पुलिस थाना परिसर जुरहरा में खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सबंध व सरोकार नही है। उक्त वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन की सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट गुजरात के सबंध में दिनांक 1.10.2002 एवं मंजीतसिंह बनाम स्टेट दिनांक 10.09.2014 माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, मान0 राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मनोहरलाल पुत्र हरलाल राम बनाम स्टेट दिनांक 24.05.2017 व मान0 राजस्थान हाईकोर्ट गनी मौहम्मद बनाम स्टेट दिनांक 17.01.2008 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि अक्षम्य है, क्योंकि गोवंश की तस्करी करना एक समाजिक कुरीति है। वाहन का उपयोग अवैध गौकशी में लिप्त होना पाया गया है, जिसमें 13 गौवंश को क्रूरता पूर्ण रस्सियों से बंधे हुये मिले और गाडी में दो खाली कारतूस व एक जिन्दा कारतूस भी बरामद किया गये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना जुरहरा की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना जुरहरा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि एक कैन्टरा गाडी में गौवंश भरकर गोविन्दगढ से हरियाणा ले जाया जा रहा है। जिसकी दौराने जांच मौके पर 13 गोवंश को कूरता पूर्ण रस्सियों से बंधे हुये मिले व गौतस्करों द्वारा गौवंश को गौकशी हेतु राजस्थान से हरियाणा परिवहन कर गौवंश को गौकशी के लिए परिवहन करना पाया गया है। प्रकरण में वाहन आईशर कैन्टरा रजि.नम्बर एच.आर. 46–डी 2602 के मालिक ने अवगत कराया है कि उक्त वाहन दिनांक 12.11.2021 ग्राम जौली से चोरी हो गया जिसकी दिनांक 14.12.2021 को एफ.आई.आर संख्या 470/2021 पुलिस थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा में दर्ज कराई है। प्रकरण में वाहन स्वामी द्वारा वाहन चोरी की रिपोर्ट कराई गई जिसमें एफ.आई.आर रिपोर्ट अनुसार तफ्तीश जैरकार है। दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा उक्त गाडी को गोवंश से भरा हुआ जब्त किया गया है। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 04/22 दिनांक 08.01.2022 को पुलिस थाना जुरहरा में दर्ज हुई है। इससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी का उक्त वाहन चोरी हुआ है एवम् गाडी के अन्तरिम सुपुर्दगी व गाडी की आवश्यकता होने पर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाते हुए वाहन को रिलीज किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार राजस्थान गोवंशीध पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 के नियम 6क की उपधारा 1 व 3 में वर्णित प्रावधानुसार यदि प्रार्थी वाहन की बाजार मूल्य की दर से जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा इस दशा में पेश करे कि वह वाहन की स्थिति को खुर्द–बुर्द नही करेगा, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन आदि नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा। जिसकी पालना में प्रार्थी सुपुर्दगार द्वारा वाहन का बाजार मूल्य 5,40,000/–(बीमा इंश्यूरेन्स अनुसार) सुनील पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जौली पुलिस थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा ने सुपुर्दगीनामा तथा इसी कदर जमानतनामा श्री रतनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति जाट निवासी गांव जौली तहसील गोहाना जिला सोनीपत द्वारा पेश किया जिनकी पहचान श्री शैलेन्द्रसिंह एडवोकेट द्वारा की गई जो कि वाद तस्दीक शामिल मिसिल किया गया। इन शर्तो के साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन आईशर कैन्टरा रजि. नम्बर एच.आर.46–डी 2602 स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी जुरहरा (भरतपुर) को तहरीर जारी हो कि प्रकरण धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीध पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) 1995 एफ.आई.आर. संख्या 04/2022 थाना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

जुरहरा सरकार बनाम अज्ञात में जब्त वाहन आईशर कैन्टरा रजि.नम्बर एच.आर.46–डी 2602 किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो सुपुर्दगार सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जौली पुलिस थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा को सुपुर्दगी में दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर